



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 640 राँची, मंगलवार,

08 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

27 नवम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-3/2016-11851 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री लियाकत अली, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-796/03, गृह जिला-पलामू), तत्कालीन अंचल अधिकारी, टंडवा, चतरा के विरुद्ध अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, राँची के पक्ष में गलत जमाबंदी एवं बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि की अवैध जमाबंदी कायम करने संबंधी गंभीर आरोप, जैसा कि उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-02/रा0, दिनांक 02.01.2016 द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री अली के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री अली को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित

बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री अली द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री अली के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, चतरा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	LIYAKAT ALI BHR/BAS/3662	श्री लियाकत अली, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-796/03, गृह जिला-पलामू), तत्कालीन अंचल अधिकारी, टंडवा, चतरा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
